

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
6, न्यू फतहपुरा, उदयपुर
GOVERNMENT OF INDIA
Office of The
Commissioner of Income Tax
Udaipur

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(ए) के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण -

दृष्टि एजुकेशन सोसायटी,
43, पंचवटी, उदयपुर

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 13.12.2002 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12ए(ए) के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2003 को प्रस्तुत किया है ।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में है ।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था । न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से इस देरी को माफ किया जाता है ।

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा -12ए(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 13.12.2002 से प्रभावी होगा ।

प्रार्थना पत्र को धारा -12ए(ए) कि अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर संख्या 11/13 पर दर्ज कर लिया गया है ।



विजय भूषण
बा (वि.स.य.भूषण)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/12ए(ए)/2004-05/191

दिनांक : 10.05.2004

✓ 1. दृष्टि एजुकेशन सोसायटी, 43, पंचवटी, उदयपुर ।

2. आयकर अधिकारी, वार्ड 2(1), उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा -12ए(ए) के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने - आप धारा -11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है ।

3. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज - 2, उदयपुर ।

(P. MADHAVAN NAIR)
Income Tax Officer (Udaipur)
for Commissioner of Income Tax
आयकर अधिकारी (न्यायिक),
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर